संख्या-1255/चौवालिस-2-4-ए.क्यू./85

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों एवं
नोयडा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 1985

विषय :- सार्वजनिक क्षेत्र में जन-शक्ति नियोजन-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकार क्षेत्र के पुराने वेतनमान रु0 1600-2000 तथा पुनरीक्षित वेतनमान रु0 2050-2500 तक के वेतनमान वाले पदों के संबंध में चयन समितियों का गठन।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4813/ब्यूरो-2-107/1981, दिनांक 22 जुलाई, 1981, जिसके प्रस्तर 2 (1) के अन्तर्गत यह निदेश जारी किये गये थे कि निगमों का चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के एक अधिकारी को भी नामित करने का यथा संभव प्रयास किया जाये की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि निगमों द्वारा गठित इन चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से नामित किया जाय।

2. कृपया इसका अनुपालन भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
सचिव।

संख्या-1255(1)/चौवालिस-2-4-ए.क्यू./85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शासन के सम्बन्धित सचिव एवं विशेष सचिव।
(2) सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित सचिवालय के प्रशासकीय विभाग।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव।